न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद संख्या : 423 / 2016

1. राजेश कुमार पुत्र छोटूलाल
2. केदारलाल पुत्र भैरूलाल
3. मन्नी पुत्री भैरया
4. रघुराज पुत्र नखरालाल
5. हेमराज पुत्र चन्दा
6. दानमल पुत्र चन्दा
7. कुंजबिहारी पुत्र चन्दा
8. नरेन्द्र पुत्र चन्दा

जातियान मेघवाल निवासीगण खानपुरिया तहसील मांगरोल

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. रामकरण पुत्र गेन्दया
2. चौथमल पुत्र गेन्दया
3. जगन्नाथी पुत्री गेन्दया

जातियान मेघवाल निवासीगण मियाडा तहसील बारां जिला बारां

4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)
5. उपपंजीयक महोदय मांगरोल

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री बुद्धिप्रकाश मालव

वकील प्रतिवादी कम 1 ता 3 : श्री के0 के0 सोनी

दायरा दिनांक: 19.09.2016

निर्णय दिनांक : 16.01.2019

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण कम 1 ता 4 व वादीगण कम 5 ता 5 के पिता की सहखातेदारी की आराजी नया खाता संख्या 24 खसरा नं0 9 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 32 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 69 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 196 रकबा 0.92 है0, खसरा नं0 333 रकबा 1.61 है0, खसरा नं0 349 रकबा 0.48 है0 कुल किता 6 रकबा 3.84 है0 ग्राम खानपुरिया में स्थित है। उक्त आराजी में वादीगण कम 1 ता 4 व वादीगण कम 5 ता 8 के पिता चन्दा पुत्र भैरया का हिस्स 1/2 रेकार्ड में दर्ज है। चूकि वादी नं0 5 ता 8 के पिता चन्दा की मृत्यु हो चुकी है। वादी नं0 5 ता 8 चन्दा के वारिस है। लकिन राजस्व रेकार्ड में चन्दा का फौती नामान्तकरण नही खुला है। वादीगण 1 ता 8 ही सम्पूर्ण आराजी पर मौखिक बंटवारे के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का तो केवल

रेकार्ड में नाम ही है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का आराजी पर शारिरिक कब्जा कभी नही रहा है। दी नं0 1 ता 3 के पिता गेन्दया ने अपने हिस्से 1/2 की आराजी वादीगण नं0 1 ता 4 के पिता व कम 5 ता 8 के दादा को 70 वर्ष पूर्व बैचान कर दी थी। लेकिन उक्त आराजी की रजिस्ट्री नही होने उक्त आराजी में वादीगण का नाम नही आया है। वादीगण के पिता व दादा उक्त आराजी की रजिस्ट्री कराते उससे पूर्व ही प्रतिवादीगण के पिता गेन्दया का देहान्त हो गया व प्रतिवादीगण ने अपने पिता का फौती इन्तकाल खुलवाकर अपना नाम दर्ज करवा लिया है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी का बैचान करने के लिये दलालो के सम्पर्क में है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण एक स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की पारित की जावें कि ग्राम खानपुरिया की आराजी खाता संख्या 24 किता 6 रकबा 3.84 है0 को कही रहन व बैचान नही करें। राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 19.09.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री के0 के0 सोनी ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी कम 1 ता 3 की ओर से आज दिनांक तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किया। वकील प्रतिवादी कम 1 ता 3 को लगातार लगभग 2 वर्ष की अवधि में आज तक दस अवसर दिये जा चुके है। तदुपरान्त भी जवाब वाद पत्र पेश नही किया है अतः न्यायहित में न्यायालय अब ओर अवसर दिया जाना समीचीन नही समझता है। लिहाजा अवसर जवाब बन्द किया जाता है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में दिनांक 16.01.2019 को बहस फाईनल वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गयी। वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया गया जिनका उनके द्वारा अपने वादपत्र में अंकन किया गया है। वादीगण रेकार्डेड सहखातेदार है। एवं प्रतिवादीगण अकारण बिना विधिक अधिकार के वादीगण की आराजी में मजाहमत करते है। अतः मुताबिक वाद पत्र में संलग्न दस्तावेज व सुनी गयी बहस की रोशनी में वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जाती है कि वादीगण की कब्जे काश्त की सहखातेदारी की ग्राम खानपुरिया की आराजी नया खाता संख्या 24 खसरा नं0 9 रकबा 0.74 है0, खसरा नं0 32 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 69 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 196 रकबा 0.92 है0, खसरा नं0 333 रकबा 1.61 है0, खसरा नं0 349 रकबा 0.48 है0 कुल किता 6 रकबा 3.84 है0 को रहन बैचान नही करें एवं राजस्व रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। तहसीलदार मांगरोल तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सु